उत्तराखण्ड फार्मेसी काउन्सिल

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, द्वितीय तल कक्ष संख्या–57, डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ.–गुजराड़ा, निंकट आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून – 248 001
Website: www.ukpcouncil.org, Email: pharmacycounciluk@gmail.com
(फार्मेसी अधिनियम 1948 के अध्याय III)

पत्रांक : यू0के0पी0सी0/2023/0599/A देहरादून, दिनांकः– 19/07/23

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, पौडी, पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार, चम्पावत, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोडा।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष चिकित्सालय, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, रूद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोडा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, कोरोनेशन (देहरादून), गांधी नेत्र शताब्दी चिकित्सालय, देहरादून, सेन्टमेरी मसूरी, क्षय रोग आश्रम, भवाली (नैनीताल),
3. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, पौडी गढ़वाल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोडा, पिथौरागढ़।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार(पौडी गढ़वाल), हरिद्वार, सुमन चिकित्सालय नरेन्द्र नगर (टिहरी)।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकित्सालय, अल्मोडा, हल्द्वानी (नैनीताल),
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी।
7. ड्रग लाइसेन्सिंग प्राधिकारी, गढवाल एवं कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।

विषय– प्रशिक्षु डिप्लोमा फार्मेसिस्ट को चिकित्सालयों में 500 घंटे के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना हैं कि, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट पाठ्यक्रम हेतु, फार्मेसी अधिनियम, 1948 के एजुकेशन रेगुलेशन में फार्मेसिस्टों के आवश्यक 500 घंटे प्रशिक्षण हेतु कुछ आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। प्रशिक्षण के समय उनका विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक हैं। अन्यथा डिप्लोमाधारक का प्रशिक्षण अपूर्ण माना जायेगा। प्राविधानित आवश्यकताएं निम्न हैं:–

1. फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 2(h)I, के वही फार्मेसिस्ट ट्रेनिग देने हेतु अर्ह होंगे, जो उत्तराखण्ड फार्मेसी काउन्सिल में पंजीकृत होंगे।
2. **फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 10 के तहत बने, एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के Chepter III की धारा 18(2) के अनुसार राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में उत्तराखण्ड फार्मेसी काउन्सिल में पंजीकृत एवं कार्यरत फार्मेसिस्टों के अधीन प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में–**

उपनियम (1) में दिये गये संस्थान प्रशिक्षण देने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 और औषधि एवं प्रसाधन नियम, 1945 के तहत लाइसेंस प्राप्त किसी भी अस्पताल, डिस्पेंसरी या फार्मेसी में छात्र फार्मासिस्ट्स की संख्या 4 से अधिक न हो, जहाँ एक पंजीकृत फार्मासिस्ट

उस कार्य में शामिल होगा जिसमें छात्र फार्मासिस्ट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, और जहाँ एक से अधिक पंजीकृत फार्मासिस्ट इसी तरह काम में लगे हैं, वहाँ ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त एवं पंजीकृत फार्मासिस्ट के लिए यह संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए भारतीय भेषजी परिषद की वेवसाइट **www.pci.nic.in** पर एजुकेशन रेगुलेशन 2020 देखने का कष्ट करें।

यहां पर ध्यान दिया जाना हैं कि, फार्मेसी अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रशिक्षु फार्मेसिस्ट जो इन प्राविधानों के विपरीत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, का परिषद में पंजीकृत किया जाना सम्भव नही होगा।

अतः अनुरोध हैं कि, कृपया अधीनस्थ चिकित्सालयों में कार्यरत उत्तराखण्ड फार्मेसी काउन्सिल में पंजीकृत फार्मेसिस्ट एवं पंजीकरण के लिये आवेदन के सापेक्ष प्रशिक्षण पा रहे कुल प्रशिक्षु फार्मेसिस्टों की सूची निम्न प्रारूप के अनुसार प्रेषित करे। ताकि फार्मेसी एक्ट 1948 के प्राविधानों का पालन करते हुए काउन्सिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

क0 सं0	राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत कुल फार्मेसिस्टों/चीफ फार्मेसिस्टों के नाम व उनका पंजीकरण संख्या	प्रशिक्षण पाने वाले सभी फार्मेसिस्टों के नाम	संस्थान/चिकित्सालय का नाम जहां से प्रशिक्षण लिया गया	प्रशिक्षण अवधि (किस दिनांक से किस दिनांक तक)
1	2	3	4	5

भवदीय

19/7/2023

(ताजबर सिंह)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।